न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 118/2019 (2019/00244) **दर्ज दिनांक 25.10.2019**

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

बालुराम पुत्र रामप्रताप शर्मा निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान। **––प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती कंकु देवी पत्नि नानूराम शर्मा, निवासी मेघरास हाल निवास 11/641 सुखववाल भवन, पुर रोड़ भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती भगवानस्वरूप पुत्र नानूराम शर्मा, निवासी मेघरास हाल निवास 11/641 सुखववाल भवन, पुर रोड़ भीलवाड़ा (राज0)
3. श्रीमती जयाकंवर पत्नि अमरसिंह राजपुत निवासी काराई तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा। **––विपक्षीगण**

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री विवेकानंद शर्मा

अधिवक्ता विपक्षी सं0 1,2:– श्री रितेश सुराणा

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–26.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम भुणास पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1687 रकबा 0.07 हे0, आराजी संख्या 3080 रकबा 1.08 हे0, 3081 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 303 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रा0 पत्र की कलम संख्या 9 आराजी संख्या 1683 रकबा 0.07 हे0 के संबंध में स्वीकार नहीं है और प्रार्थी का प्रा0 पत्र आराजी संख्या 1683 जियके खातेदार व स्वामी हम विपक्षीगण है की हद तक खारिज फरमाया जावें। शेष आराजियात बाबत् आपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई दाद नहीं चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 4 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब देही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भुणास पटवार हल्का भुणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1687 रकबा 0.07 हे0 आराजी संख्या 3080 रकबा 1.08 हे0 3081 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 303 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/– (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।